

5-5-25 पत्रावली पेशा हुई। अभिभाषके जर्मी  
उपस्थित। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर  
बहस सुनी गई। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र  
व शपथ पत्र तथा बहस के आधार पर  
न्यायद्वारे में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार  
कर आदेश दिनांक 22-4-2025 को  
रिकॉल किया जाकर अपील को रेस्टोर  
किया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र  
नम्बर से कम होकर मूल अपील के  
साथ सलगन हो। आदेश शुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

अतिरिक्त सभागीव आदुक्त  
बीकानेर